

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

31-रूडकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री प्रदीप बत्रा, पता-399/5 जादूगर रोड 33 सिविल लाईन रूडकी, हरिद्वार उत्तराखण्ड जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान-हरिद्वार

तारीख-10.03.2022


रिटर्निंग आफिसर
31-रूडकी

(अंशुल सिंह)
रिटर्निंग आफिसर, 31-रूडकी
/संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूडकी
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **31-Roorkee** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Pradeep Batra

399/5 jadugar road 33 civil lines roorkee haridwar uttarakhand [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 10-03-2022



(Shri Anshul Singh)

Returning Officer

031-Roorkee

Legislative Assembly Constituency

(जि.सु.ल. वि.स.)
रिटर्निंग आफिसर, 31-रुड़की
/ संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022